

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-शिवपुरी (म.प्र.)

(सामान्य निर्वाचन)

क्रमांक/सा.निर्वा./लो.स.निर्वा./अवकाश/2019/347

शिवपुरी, दिनांक 14/03/2019

// आदेश //

लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा कर दिये जाने से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। लोकसभा निर्वाचन 2019 के निर्वाचन संबंधी कार्य को सूचारु रूप से संचालन की दृष्टि से मैं अनुग्रहा.पी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20(क) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समस्त कार्यालय प्रमुख जिला शिवपुरी को आदेशित करती हूँ, कि वे अपने अधीनस्थ शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के किसी भी प्रकार के अवकाश संबंधी आवेदन अथवा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन इस कार्यालय की अनापत्ति के बिना स्वीकृत नहीं करेंगे।

सभी कार्यालय प्रमुख, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी के अवकाश अथवा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अपने अभिमत की टीप सहित इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

कलेक्टर कार्यालय में इस प्रकार के आवेदनों के निराकरण के लिये श्री आर.वी. सिंडोस्कर डिप्टी कलेक्टर प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा कलेक्ट्रेट शिवपुरी नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(अनुग्रहा.पी)
कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी, दिनांक 14/03/2019

पृ.क्रमांक/सा.निर्वा./लो.स.निर्वा./अवकाश/2019/347
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
5. श्री आर.वी. सिंडोस्कर डिप्टी कलेक्टर (नोडल अधिकारी) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (NIC) शिवपुरी की ओर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
7. उप संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग शिवपुरी की ओर दैनिक समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशनार्थ।
8. विभाग प्रमुख जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(अनुग्रहा.पी)
कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला शिवपुरी (म.प्र.)